

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 291/2020 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)
आई. डी. एफ. सी. फस्ट बैंक लि. (पूर्व नाम कैपिटल फस्ट होम फाईनेन्स लि.) रीकिण्ड फ्लोर,
ननुपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच एस वी सी बैंक के सामने, जयपुर। जरिये
अधिकृत अधिकारी श्री पवन कौशिक ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मनोहर लाल योगी
2. श्रीमती ममता योगी पत्नी मनोहर लाल योगी
3. अंकित योगी पुत्र श्री मनोहर लाल योगी

पता :- प्लॉट नम्बर 217, हनुमान वाटिका-ए, गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री के.के. सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश

दिनांक 12.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.03.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ममता योगी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 217, हनुमान वाटिका-ए, गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज को बन्धक रख कर 05,51,000/-रूपये एवं 07,49,000/-रूपये कुल 13,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि नय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 5 अगस्त 2016 से क्रम संख्या 19 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 05,51,000/-रूपये एवं 07,49,000/-रूपये कुल 13,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए वकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 07,54,624.64/-रूपये एवं 05,44,501.72/-रूपये कुल 12,99,126.36/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नोटिस दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को वकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य वकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि वकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती ममता योगी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 217, हनुमान वाटिका-ए, गोकुलपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 88.88 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पायन्द करें। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



12/1/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर